

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

मीठापुर, पटना-800 001 (बिहार)

Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

अधिसूचना

पटना, दिनांक 04/06/2026

अ.सं.: संबं.-6144/2024(पार्ट-I)-703 / बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की संबद्धता बोर्ड की बारहवीं बैठक की कार्यवली सं.-BOA-03/12 एवं तेरहवीं बैठक की कार्यवली सं.-BOA-02/13 पर गैर-सरकारी फार्मैसी महाविद्यालयों द्वारा संबद्धता की अवधि विस्तार हेतु समर्पित आवेदनों पर सम्यक् विचारापरांत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित सूची के कॉलम सं0 2 में अंकित गैर-सरकारी फार्मैसी महाविद्यालयों/संस्थानों को कॉलम सं0 3 में अंकित पाठ्यक्रम एवं कॉलम 4 में अंकित नामांकन क्षमता के लिए सत्र-2024-25 हेतु संबद्धता का अवधि विस्तार (Renewal/Extension of Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है।

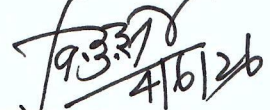
Sl. No.	Name of College/Institution & District	Course	Seats
1	2	3	4
1	Baba Rajaram College of Education, Lakhisarai	D. Pharm	60
2	Bhojpur College of Pharmacy & Technology, Bhojpur	D. Pharm	60
3	Bihar College of Pharmacy, Patna	D. Pharm	60
4	Chanakya College of Pharmacy & Medical Sciences, Bhojpur	D. Pharm	60
5	Chanakya Foundation, Patna	D. Pharm	60
6	CRK College of Pharmacy, Vaishali	D. Pharm	60
7	J.P. College of Pharmacy, Nalanda	D. Pharm	60
8	Jamui College of Pharmacy, Jamui	D. Pharm	60
9	Kusumraj Institute of Pharmacy, Patna	D. Pharm	60
10	Magadh Institute of Higher Education, Gayaji	D. Pharm	60
11	Maharana Pratap College of Education, Buxar	D. Pharm	60
12	Manav Bharti College of Pharmacy, Gayaji	D. Pharm	60
13	Patna College of Pharmacy, Patna	D. Pharm	60
14	Rajendra Kishori Pharmacy College, Siwan	D. Pharm	60
15	Rajvanshi Ramashish College of Pharmacy, Vaishali	D. Pharm	60
16	Ram Pratap Institute of Pharmacy College, Gayaji	D. Pharm	60
17	Sai College of Pharmacy, Shiekhpora	D. Pharm	60
18	Shakuni Choudhary College of Health & Sciences, Munger	D. Pharm	60
19	Sikaria Pharmacy College, Motihari, East Champaran	D. Pharm	60
20	Ram Sharan Roy College of Pharmacy, Vaishali	D. Pharm	60
21	Radiant Institute of Pharmaceutical Sciences, Kishanganj	D. Pharm	60

नियम एवं शर्तें:-

- संबद्धता का अवधि विस्तार विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम में निहित प्रावधानों के तहत सशर्त प्रदान की जा रही है।
- संबद्धता का अवधि विस्तार सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किए जाने एवं अन्य शर्तों के अधीन होगी।
- PCI, New Delhi द्वारा सत्र-2024-25 हेतु निर्गत Decision Letter के आलोक में सत्र-2024-25 हेतु संबद्धता का अवधि विस्तार किया जा रहा है तथा संबंधित संस्थान द्वारा उक्त पत्र अध्यारोपित शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

4. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा PCI, New Delhi से Approved सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। PCI, New Delhi द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में PCI, New Delhi द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।
5. संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को निर्देश दिया जाता है कि नामांकित छात्र-छात्राओं के विश्वविद्यालय में पंजीयन के पूर्व वांछित कागजात/शुल्क विश्वविद्यालय कार्यालय में अचूक रूप से समर्पित कर देंगे।
6. विश्वविद्यालय/PCI, New Delhi/बिहार सरकार आदि द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधारभूत संरचना एवं अन्य मापदण्डों की जाँच हेतु विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित सभी महाविद्यालय/संस्थान का छः माह के अन्दर निरीक्षण किया जायेगा तथा निरीक्षण के फलाफल से संबद्धता अवधि विस्तार आच्छादित होगा।
7. महाविद्यालय/संस्थान बिहार सरकार/बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय/PCI, New Delhi के नियमों/विनियमों आदि का पालन करने हेतु बाध्य होगा।
8. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधिनियम/परिनियम/विनियम आदि का पालन करना महाविद्यालय/संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा।
9. महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय में समर्पित आवेदन पत्र के साथ संलग्न कागजातों को सही मानते हुए संबद्धता का अवधि विस्तार किया जा रहा है तथा कागजातों के सही होने की संपूर्ण जवाबदेही संबंधित संस्थान की है। भविष्य में किसी भी समय महाविद्यालयों द्वारा समर्पित कागजातों के सत्यापन में गलत पाए जाने की स्थिति में संबद्धता को वापस ले लिया जाएगा तथा निमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।
10. महाविद्यालयों/संस्थानों के द्वारा किसी प्रकार का गलत/भ्रामक सूचना देकर अथवा तथ्य/सूचना छिपाकर संबद्धता प्राप्त करने पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

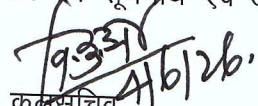
कुलपति के आदेशानुसार


(विमलेश कुमार झा)

कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं.-6144/2024(पार्ट-I)-703 / पटना, दिनांक 04/06/2026
प्रतिलिपि-प्राचार्य/निदेशक/सचिव, संबंधित फार्मसी महाविद्यालय/संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


कुलसचिव

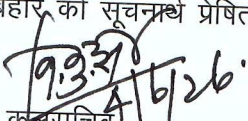
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं.-6144/2024(पार्ट-I)-703 / पटना, दिनांक 04/06/2026
प्रतिलिपि-डीन(अकादमिक)/डीन(आयुष)/डीन(परीक्षा)/डीन(फार्मसी)/परीक्षा नियंत्रक/वित्त पदाधिकारी / कुलपति के निजी सचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं.-6144/2024(पार्ट-I)-703 / पटना, दिनांक 04/06/2026
प्रतिलिपि-माननीय मुख्यमंत्री, बिहार-सह-कुलाधिपति, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव, फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली/सभी प्रबंधक, जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।


कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना